

कार्यालय भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल
विज्ञापन क्रमांक ~~1119~~ / सम्पदा / 24

भोपाल, दिनांक 14/7/24

शाला भूखण्ड हेतु ऑफर आमंत्रण

प्राधिकरण की अमरावद खुर्द योजना स्थित शाला भूखण्ड का विक्रय निम्न तालिकों में वर्णित होकर ऑनलाईन वेबसाइट <https://Vikaspradhikaran.mp.online.gov.in> के माध्यम से ऑफर दिनांक 18-7-24 से दिनांक 1-8-24 तक आमंत्रित किये जाते हैं। निर्धारित अवधि में प्राप्त ऑफर/आवेदन पत्र दिनांक 2-8-24 को खोले जायेंगे।

अनु क्र०	भूखण्ड/इकाई के ब्यौरे	क्षेत्रफल वर्गमीटर में	प्रयोजन हेतु भूखण्ड/इकाई को आरक्षित रखा गया है	जिस भूखण्ड/इकाई को आरक्षित रखा गया है	रियायती दरों पर आरक्षित मूल्य	निक्षेप रकम (धरोहर राशि)	वार्षिक पट्टा भाटक
1	2	3	4	5	6	7	
1	भूखण्ड सेक्टर-03	1604.25 वर्गमी०	शाला भूखण्ड		1,83,84,705 / -	18,38,471 / -	1,59,153 / -

भुगतान हेतु नियम एवं शर्तें निम्नानुसार होगी:-

1. भूखण्ड पर भारत सम्पत्ति कर रजिस्ट्री पृथक से देय होगा।
2. भूखण्ड पर भारत रहवासी समिति शुल्क तय अनुसार रजिस्ट्री पूर्व अंतिम किशत में पृथक से देय होगा।
3. सम्पत्ति भू-भाटक पर विक्रय हेतु है।
4. जी०एस०टी एवं अन्य लागू टेक्स शासन नियमानुसार देय होगी।
5. आयकर अधिनियम 194/1ए अनुसार 50 लाख से अधिक की सम्पत्ति पर 1 प्रतिशत आयकर (टीडीएस) की राशि ऑफर मूल्य पर कटौती कर आयकर कार्यालय में जमा कर फार्म 16-ए की एक प्रति प्राधिकरण में उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।
6. ऑफर स्वीकृति राशि मूल्य से पंजीयन राशि के समायोजन पश्चात आवंटन आदेश जारी होने के 60 दिवस के अन्दर निर्धारित समयावधि में सम्पूर्ण राशि जमा करना अनिवार्य होगा।
7. ऑफर स्वीकृति अनुसार आवंटन आदेश जारी होने पर निर्धारित अवधि में राशि जमा न किये जाने पर नियमानुसार दण्ड ब्याज देय होगा।
8. प्रचलित व्ययन नियम में वर्णित नियम एवं प्रावधान मान्य होंगे।
9. भूखण्ड का क्षेत्रफल अनुमानित है।
10. भूखण्ड का विक्रय यथास्थिति में प्रस्तावित है। भूखण्ड का स्थल निरीक्षण कर ही प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
11. विवाद की स्थिति में अध्यक्ष भोविप्रा का निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
12. भूखण्ड की शेष राशि जमा करने की समयावधि आवंटन आदेशानुसार देय होगी, तथा आवंटन आदेश में वर्णित शर्तें मान्य होगी।
13. शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियम एवं शर्तें पंजीयनकर्ताओं/आवंटियों को मान्य करना अनिवार्य होगा।
14. भूखण्ड का उपयोग शाला भूखण्ड हेतु आरक्षित है। अन्य उपयोग मान्य नहीं किया जावेगा।
15. भूखण्ड कॉर्नर का होने की स्थिति में कॉर्नर शुल्क की राशि नियमानुसार देय होगी।
16. वेबसाइट पर घोषित विज्ञापित की शर्तें मान्य होगी।

सम्पदा अधिकारी
भोपाल विकास प्राधिकरण
भोपाल